चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 27.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 27.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 27.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये

(4). दिनांक 26.08.2025 को समय लगभग 19:00 बजे ग्राम चौकीदार रैपुरवा थाना पहाड़ी श्री राम मिलन द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई कि गढ़ीघाट मजरा रैयापुरवा के किनारे बागे नदी में एक महिला का शव मिला है।
सूचना मिलते ही मौके पर थाना पहाड़ी पुलिस फोर्स, क्षेत्राधिकारी राजापुर व फॉरेंसिक टीम द्वारा शव के निरीक्षण से पाया गया कि मृतका जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष लम्बाई लगभग 170 सेमी है। महिला के कानों में छोटे झुमके, गले में काला धागा, दाहिने हाथ की हथेली के पीछे वाले हिस्से पर 'ओम' तथा दाहिनी कलाई पर दिल का टैटू बना हुआ हैं,जिस पर दिल लिखा है।
मृतका की गर्दन, कमर व पैर में मिट्टी/बालू भरी बोरियां साड़ी से लपेटकर बंधी हुई हैं। प्रथम दृष्टया शव 03–04 दिन पुराना लग रहा है।

(5). पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के पत्र संख्या कल्याण-शिक्षानिधि (भाग-3)2025 दिनांक 28 जुलाई,2025 के क्रम में आज दिनांक 27.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा परिक्षत वर्मा हेड आपरेटर रेडियों शाखा की पुत्री रीता वर्मा को MBBS (एमबीबीएस) कोर्स हेतु 20,000/-(बीस हजार) रूपये का चेक प्रदान किया गया।
हेड आपरेटर रेडियों शाखा द्वारा आवेदन प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध कराये गये पुलिस शिक्षा निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मेधावी छात्र/छात्राओं को एक मुश्त प्रदान की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा पाया गया कि हेड ऑपरेटर परिक्षत वर्मा की पुत्री रीता वर्मा MBBS द्वितीय वर्ष की छात्रा है जो अपनी मेडिकल कॉलेज कन्नौज से पढ़ाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा रीता वर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पुलिस शिक्षा निधि के अन्तर्गत 20,000/-(बीस हजार) रूपये का चेक प्रदान किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को चोरी की मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.09.2024 को थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा ग्राम सपहा में वन विभाग नर्सरी के पास गनीवा - कर्वी मार्ग पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि एक व्यक्ति बिना हेलमेट लगाये हुये मोटर साइकिल चलाता हुआ रंगौली की तरफ आता दिखाई दिया। मोटर साइकिल उपरोक्त को रोककर मोटर साइकिल के प्रपत्र मांगे गये तो हीला हवाली करते हुए अभी पास में प्रपत्र न होने की बात बतायी। संदिग्ध प्रतीत होने पर व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो व्यक्ति ने अपना नाम अवधेश कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट बताते हुए बताया कि वर्ष 2023 में पूना (महाराष्ट्र) काम करने गया था। वही से मोटर साइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MH 12 TG 0372 को चुरा कर यहाँ चला आया। तब से यही पर मो0सा0 उपरोक्त को चला रहा है। ई-चालान एप पर रजिस्ट्रेशन नं0 MH 12 TG 0372 को चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम तेजस महेश भोसले पुत्र महेश प्रसाद निवासी बिववे नगर सी0ई0एन086 विववेवाणी रोड नियर एआई माता टेम्पल विववेवाणी पुणे 411037 मो0नं0 8830514004 बताया वाहन स्वामी से जरिये दुरूभाष वार्ता की

गयी तो वाहन स्वामी द्वारा बताया गया कि उनकी मोटर साइकिल वर्ष 2023 में पूणे से चोरी हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 372/2023 धारा 379 भादवि0 थाना हिजवाड़ी जिला पिम्परी चिचवड़ महाराष्ट्र में पंजीकृत कराया गया है। चोरी की मोटर साइकिल बरामद होने पर दिनांक 26.08.2025 को समय 21.50 बजे गिरफ्तार करते हुए आज दिनांक 27.08.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 548/25 धारा 317(2) बीएनएस व 35 बीएनएसएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अवधेश कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

मो0सा0 होण्डा हारनेट MH 12 TG 0372

गिरफ्तार करने बाली टीम –

1.उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना कोत0 कर्वी

2.आरक्षी संजय पाल

3.आरक्षी शुभम शर्मा

4.आरक्षी जयनारायण पटेरिया

(8) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल कुमार व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सचिन रैदास पुत्र रमेश रैदास निवासी ग्राम लवेद मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 23 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना मऊ

2.आरक्षी मनीष यादव

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री वंशनारायण सिंह व उनकी टीम ने दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.08.2025 को वादिया श्रीमती गीता पत्नी चन्द्रसेन निवासी उमरा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी द्वारा सूचना दिया गया कि पुत्री रेशमा देवी से अतिरिक्त दहेज की मांग करना मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करना तथा मारपीट करते हुए हत्या कर देना । इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 261/2025 धारा 80(2),85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। उ0नि0 श्री वंशनारायण शुक्ला द्वारा आज दिनाँक 27.08.2025 को आरोपी अभियुक्त गया प्रसाद पुत्र स्व0 सुन्दरलाल निवासी नौबस्ता मजरा भिटारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री वंशनारायण सिंह थाना मऊ

2.आरक्षी सोनपाल

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक 27.08.2025 पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 183/2015 धारा 148,149,307,504,506 भादवि0 14 डीए एक्ट के आरोपी अभियुक्त लवलेश कोल पुत्र कल्लू कोल निवासी निही चिरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 06 वर्ष का कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.12.2015 को तत्कालीन उ0नि0 आर0बी0 सिंह द्वारा अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर देना । इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 183/2015 धारा 148,149,307,504,506 भादवि0 व 14 डीए एक्ट बनाम लवलेश कोल पुत्र कल्लू कोल निवासी निही चिरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी आरोपी अभियुक्त लवलेश कोल को गिरफ्तार करते हुए आरोप पत्र दिनांक 28.11.2016 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अरविन्द कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 27.08.2025 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 13/25 धारा 351(2) 352 बीएनएस के आरोपी अभियुक्ता 1. फूलकुमारी पत्नी रमेश निवासी छेरिहा खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट 2. सपना पत्नी ओमप्रकाश निवासी पोखरवार हनुमान धारा थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0 को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/-1500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(12). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका सत्यभामा पत्नी अंचल कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष पति अंचल कुमार के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा,गाली गलौज,मारपीट कर घर से बाहर निकालना तथा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गीता देवी व महिला आरक्षी मंजू देवी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस मे

पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गीता देवी

2.महिला मंजू देवी